न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 96 / 2020

अनवान : –

1. प्रियंका पुत्री शिषराम उर्फ शिशपाल पत्नी मोनू कुण्डू जाति जाट निवासी फतेहाबाद(हरियाणा)।

– सायला

बनाम्

1. शिषराम उर्फ शिशपाल पुत्र तुलछा जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 22/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 54 / 54 की कुल 9. 8670 हैक्ट भूमि में से 1 / 14 हिस्सा भूमि सायला के दादा तुलछा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 57 / 52 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि सायल के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें सायला का जन्मजात हक हिस्सा है। सायला के दादा का देहान्त हो चुका है। वाद में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जो की सायल की बुआ है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है इन्होने अपना हक हिस्सा अपने भाई के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग सायला का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब का हक हिस्सा है। एक खाता की वाद भूमि गैरसायल स0 1 अकेले के नाम दर्ज होने से गैरसायल स0 1 अपनी नाजायज जरूरतों को पुरा करने के लिए वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहता है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायलान के उक्त वाद भूमि दर्ज होने से गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय कर [illegible] है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थी स0 1 के खिलाफ [illegible] जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड [illegible] बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 54/54 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 57/52 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजाा 22 जेएसएन की वाद भूमि का नामान्तरण दिनांक 16.08.1977 को गैरसायल स0 1 के पक्ष में तस्दीक हुआ है उक्त नामान्तरण संख्या 16 को प्रार्थीया द्वारा आदिनांक तक चैलेंज नही किया गया है वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम सन 2005 से पूर्व दर्ज होने के कारण प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नही है। गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि पर सन 1977 से काबिज है। तुलछाराम पुत्र केसराराम द्वारा बीकानेर टिनेन्सी के वक्त भूमि अर्जित की है। प्रार्थीया हरियाणा की है यानि की दुसरी प्रांत की है इसलिए कोई हक हिस्सा लेने की अधिकारी नही है। हिन्दु लॉ के अनुसार पैतृक सम्पति चार पीढ़ियो तक साबित करनी होती है। प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन कर उन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में उपयोग में लिया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थीया के पूर्वजों केशरा वल्द निराणा के नाम दर्ज रही है और और उनके बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकॉर्ड खा[illegible] भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका [illegible] विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:10 IST
Reason: SelfAttested

नोहर

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीया का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है या नही वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय किया जा सकता है। प्रार्थीया का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीया को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीया का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 54/54 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व 22 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 57/52 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:10 IST
Reason: SelfAttested